

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120018422025



उपस्थित— हिमानी गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद सं०—1052 / 2025

सरकार बनाम सर्वेश कुमार आदि

कथानक अभियुक्त नाम—

1—सर्वेश कुमार बनाम स्व० रामस्वरूप निवासी बाबूखेड़ा, मजरा दुराई, थाना खीरों, जिला रायबरेली उ०प्र०।

अ०सं०—214 / 2024

धारा—13 जी०एक्ट

थाना—मौरावा, उन्नाव

प्रश्न संख्या 1— अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर— कुछ नहीं कहना।

प्रश्न संख्या —2 क्या आपके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र दिया गया ?

उत्तर— जी हाँ।

प्रश्न संख्या —3 आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला ?

उत्तर— क्यों कि मैंने अपराध किया था।

प्रश्न संख्या —4 क्या कुछ और कहना है ?

उत्तर— जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

अभियुक्त की परीक्षा मेरी उपस्थिति में की गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा किये गये कथनों का विवरण पूर्ण सही है।

दिनांक:—06.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।

अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल करने का कथन किया गया। अभियुक्त को समझा दिया गया कि सजा हो सकती है। उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना कहा तथा कम से कम दण्ड देने की प्रार्थना की। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारा है। स्वेच्छया पूर्वक की गयी संस्वीकृत के आधार पर आरोपित अपराध में अभियुक्त को धारा 13 जी०एक्ट० में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। उसे दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त की ओर से दण्ड के बिन्दु पर कथन किया गया है कि वह अत्यन्त गरीब

व्यक्ति है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा उस पर उसके परिवार के पालन पोषण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की है।

प्रकरण वर्ष 2025 से लम्बित है। उसे निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त सर्वेश कुमार के द्वारा की गयी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को फौजदारी वाद सं०-1052/2025 अ०सं०-214/2024 थाना मौरावा, जिला उन्नाव के प्रकरण में धारा 13 जी०एक्ट के अपराध हेतु अभियुक्त को मु० 200/-रु० (दो सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में वह 05 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक-06.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 06.07.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।